रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/96 REGISTERED NO. DL-33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 1996/चैत्र 3, 1918
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1996/CHAITRA 3, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1996

का. नि. आ. 33—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा (समूह) "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (तृतीय शोधन) नियम, 1996 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

Attested.

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

Note: The principal rules were published in the Gazettee of India vide number SO. 4025 dated the 23rd July, 1971 and subsequently amended vide number :—

1. S.O. 2558, dated the 16th Sept., 1972
2. S.O. 82, dated the 12th Jan., 1974
3. G.S.R. 286, dated the 1st March, 1975
4. S.O. 4757, dated the 8th Nov., 1975
5. S.O. 136, dated the 10th Jan., 1976
6. S.O. 3902, dated the 30th Oct., 1976
7. S O 2596, dated the 9th Sept , 1978
8. G.S.R. 1188, dated the 30th Sept., 1978
9. S.O. 702, dated the 24th Feb., 1979
10. S.O. 1154, dated the 7th April, 1979
11. S.O. 1440, dated the 5th May, 1979
12. G.S.R. 702, dated the 19th May, 1979
13. G.S.R. 48, dated the 19th Jan., 1980
14. G.S.R. 178, dated the 16th Jan., 1980
15. G.S.R. 482, dated the 3rd May, 1980
16. S.O. 2038, dated the 2nd Aug., 1980
17. G.S.R. 1038 dated the 28th Nov., 1981
18. G.S.R. 119, dated the 6th Feb., 1982
19. G.S.R. 311, dated the 27th March, 1982
20. G.S.R. 592, dated the 13th Aug., 1983
21. G.S.R. 853, dated the 19th Nov., 1983
22. G.S.R. 1009, dated the 31st Dec., 1983
23. G.S.R. 226, dated the 3rd March, 1984
24. S.R.O. 215, dated the 28th Sept., 1985
25. S.R.O. 302, dated the 27th Sept., 1986
26. S.R.O. 3, dated the 17th Jan., 1987
27. S.R.O. 79, dated the 23rd April, 1988
28. S.R.O. 370, dated the 13th Jan., 1990
29. S.R.O. 102, dated the 26th May, 1990
30. S.R.O. 157, dated the 24th Aug., 1991
31. S.R.O. 197, dated the 10th Sept., 1991
32. S.R.O. 94, dated the 16th May, 1992
33. S.R.O. 117, dated the 30th May, 1992
34. S.R.O. 217, dated the 3rd Oct., 1992
35. S.R.O. 31, dated the 27th March, 1993
36. S.R.O. 68, dated the 18th June, 1993
37. S.R.O. 176, dated the 11th Dec., 1993
38. S.R.O. 57, dated the 2nd April, 1994
39. S.R.O. 69, dated the 21st May, 1994
40. S.R.O. 103, dated the 18th June, 1994
41. S.R.O. 190, dated the 31st Dec., 1994.

(अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1996

का. नि. आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में :—

(i) नियम 8 के उप नियम 2 में ;

(क) खंड (क) के उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) आतरिक छंटनी उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्षों की गोपनीय मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित होगी। 60 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत औसत अंको से कम प्राप्त करनें वाले क्रमश: वैज्ञानिक "ख" और "ग" वैज्ञानिक "घ" और वैज्ञानिक "ङ" निर्धारण के त्रपा होंगे नहीं

Attested.

[signature]

Asstt Controller Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

Note: The principal rules were published in the Gazettee of India vide number SO. 4025 dated the 23rd July, 1971 and subsequently amended vide number :—

1. S.O. 2558, dated the 16th Sept., 1972
2. S.O. 82, dated the 12th Jan., 1974
3. G.S.R. 286, dated the 1st March, 1975
4. S.O. 4757, dated the 8th Nov., 1975
5. S.O. 136, dated the 10th Jan., 1976
6. S.O. 3902, dated the 30th Oct., 1976
7. S O 2596, dated the 9th Sept , 1978
8. G.S.R. 1188, dated the 30th Sept., 1978
9. S.O. 702, dated the 24th Feb., 1979
10. S.O. 1154, dated the 7th April, 1979
11. S.O. 1440, dated the 5th May, 1979
12. G.S.R. 702, dated the 19th May, 1979
13. G.S.R. 48, dated the 19th Jan., 1980
14. G.S.R. 178, dated the 16th Jan., 1980
15. G.S.R. 482, dated the 3rd May, 1980
16. S.O. 2038, dated the 2nd Aug., 1980
17. G.S.R. 1038 dated the 28th Nov., 1981
18. G.S.R. 119, dated the 6th Feb., 1982
19. G.S.R. 311, dated the 27th March, 1982
20. G.S.R. 592, dated the 13th Aug., 1983
21. G.S.R. 853, dated the 19th Nov., 1983
22. G.S.R. 1009, dated the 31st Dec., 1983
23. G.S.R. 226, dated the 3rd March, 1984
24. S.R.O. 215, dated the 28th Sept., 1985
25. S.R.O. 302, dated the 27th Sept., 1986
26. S.R.O. 3, dated the 17th Jan., 1987
27. S.R.O. 79, dated the 23rd April, 1988
28. S.R.O. 370, dated the 13th Jan., 1990
29. S.R.O. 102, dated the 26th May, 1990
30. S.R.O. 157, dated the 24th Aug., 1991
31. S.R.O. 197, dated the 10th Sept., 1991
32. S.R.O. 94, dated the 16th May, 1992
33. S.R.O. 117, dated the 30th May, 1992
34. S.R.O. 217, dated the 3rd Oct., 1992
35. S.R.O. 31, dated the 27th March, 1993
36. S.R.O. 68, dated the 18th June, 1993
37. S.R.O. 176, dated the 11th Dec., 1993
38. S.R.O. 57, dated the 2nd April, 1994
39. S.R.O. 69, dated the 21st May, 1994
40. S.R.O. 103, dated the 18th June, 1994
41. S.R.O. 190, dated the 31st Dec., 1994.

(अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1996

का. नि. आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में :—

(i) नियम 8 के उप नियम 2 में,

(क) खंड (क) के उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) आतरिक छंटनी उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्षों की गोपनीय मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित होगी। 60 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत औसत अंको से कम प्राप्त करनें वाले क्रमश: वैज्ञानिक "ख" और "ग" वैज्ञानिक "घ" और वैज्ञानिक "ड़" निर्धारण के त्रपा होंगे नहीं

Attested.

[signature] 31.3.07

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

(ख) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) मूल्यांकन बोर्डों अथवा पीयर समिति की सिफारिशों को उस वर्ष की प्रथम जुलाई से कार्यान्वित किया जाएगा जिससे मूल्यांकन बोर्ड या पीयर समिति संबंधित है सिवाय उन मामलों के किया जाएगा जिनमें प्रोन्नति समिति द्वारा विनिर्दिष्ट सिफारिशें की गई हैं। यह तारीख प्रोन्नति के लिए सिफारिश किए गए सभी वैज्ञानिकों के संबंध में उस श्रेणी में उनकी ज्येष्ठता का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए चयन की तारीख मानी जाएगी परन्तु यह तब जबकि वे उस तारीख को कर्त्तव्य पर हों। तथापि ऐसे वैज्ञानिक जो उस तारीख को छुट्टी पर हों, उस श्रेणी में जिसमें वे प्रोन्नति किए गए हैं उस तारीख से, जिसको वे कर्तव्य पर आते हैं, कार्यभार ग्रहण करेंगे किन्तु इससे उनके चयन की तारीख पर अथवा उसी मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रोन्नति के लिए सिफारिश किए गए अन्य वैज्ञानिकों के मुकाबले में उच्चतर श्रेणी में उनकी परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे वैज्ञानिकों की दशा में जिनका प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन किया गया है और उपयुक्त पाया गया है लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी (किसी अन्य छुट्टी के साथ सम्मिलित) पर बाहर रहने के कारण जो उच्चतर अध्ययन करने के लिए या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष या निकट संबंध रखने वाले वृत्तिक और तकनीकी विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए हो, प्रभावी तारीख को उच्चतर श्रेणी पर कार्य भार ग्रहण करने में असमर्थ हैं, कार्यभार ग्रहण करने पर उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए रेजीडेंसी अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए उस श्रेणी में उसके चयन की तारीख से उच्चतर श्रेणी में उसकी कल्पित ज्येष्ठता की संगणना की जाएगी, परन्तु यह तब जबकि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे वैज्ञानिक का कार्य, अध्ययन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान संतोष जनक रहा है। (मूल नियम 51 के अधीन) विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वैज्ञानिकों का जहां तक संबंध है, वे अगली उच्चतर श्रेणी में उस तारीख से प्रोन्नत किए जाएंगे, जिससे वे उस प्रकार प्रोन्नति किए गए होंगे यदि वे प्रशिक्षण पर न गए होते। ऐसा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए होगा :—

(i) ऐसे प्रशिक्षण को कालावधि की मूल नियम 9(5) (ख) के अधीन कर्त्तव्य माना जाता है :—

(ii) उनका मूल्यांकन बोर्ड या पीयर समिति द्वारा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें योग्य पाया जाता है।

(iii) किसी विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नति के लिए सभी उपलब्ध ज्येष्ठ व्यक्तियों को उस श्रेणी में प्रोन्नत किया जा चुका है, सिवाय उन व्यक्तियों के जिनके बारे में सिफारिश की गई है कि "अभी योग्य नहीं हैं।"

(ग) उक्त नियमों की अनुसूची 1 (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची 1 ग

नियम 8(2) देखिए

रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में वैज्ञानिक "च" स्तर तक के वैज्ञानिक की प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन बोर्ड।

(i) अध्यक्ष या	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
सह अध्यक्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पैनल में से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
(ii) दो विभागीय कोर सदस्य	महानिदेशक, अनुसंधान और विकास द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
(iii) महाविभागीय सदस्य	महानिदेशक, अनुसंधान और विकास द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।
(iv) दो बाह्य सदस्य	शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान और विकास संगठनों उद्योगों या विशिष्ट विषय या क्षेत्र के विशेषज्ञों में से अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(v) प्रयोगशाला का निदेशक या उसका प्रतिनिधि।

टिप्पण: (i) मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मूल्यांकन बोर्ड की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।

(ii) जहां वैज्ञानिकों के समुचित मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक समझा जाए वहां अध्यक्ष दो से अधिक बाह्य सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगा।

(iii) क्रम सं (i) और (ii) बोर्ड की कोर समिति होंगे और इसमें बोर्ड के कार्यकाल के दौरान साधारण तथा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(घ) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) मूल्यांकन बोर्ड, वैज्ञानिक 'च'

Attested.

[signature] 7/2/07

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

के स्तर तक प्रोन्नति के लिए अपनी सिफारिशों को जैसे 'प्रोन्नति के लिए उपयुक्त है' या 'प्रोन्नति के लिए सभी उपयुक्त नहीं है' प्रस्तुत कर सकेगा, या उपयुक्तता एक वर्ष तक स्थगित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण योग्यता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अवधारित की गई योग्यता से उसकी रेजीडेंसी अवधि के लिए अपेक्षित अर्हक अंकों के साथ मेल खाती है तब अभ्यर्थी की 'प्रोन्नति के लिए उपयुक्त है' की सिफारिश की जाएगी, अन्यथा "अभी उपयुक्त नहीं है" या उपयुक्तता एक वर्ष तक के लिए स्थगित की जाएगी।

[सं. डीआर डीओ/76220/एम.पी.डी–2/848/डी(आर एण्ड डी)]

संगम लाल त्रिपाठी, अवर सचिव

पाद टिप्पण :— रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम जो भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4 में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गये थे। का.नि.आ. 307 दिनांक 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ. 196 दिनांक 2 अगस्त, 1982, का. नि. आ. 159 दिनांक 6 मई, 1983, का.नि.आ. 176 दिनांक 7 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228 दिनांक 13 नवम्बर, 1984, का.नि.आ. 170 दिनांक 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186 दिनांक 2 अगस्त 1985, का.नि.आ. 228 दिनांक 6 जून 1986, का.नि.आ. 158 दिनांक 4 मई, 1987, का. नि. आ. 328 दिनाक 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11-ई दिनांक 10 अगस्त 1990 का.नि.आ. दिनांक 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33 दिनांक 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74 दिनांक 5 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146 दिनांक 4 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74 दिनांक 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125 दिनांक 29 मई, 1992 और का. नि. आ. 157 दिनांक 26 अगस्त, 1994 द्वारा संशोधित किये गए हैं।

(Department of Research & Development)

New Delhi, the 8th March, 1996

S.R.O. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979 :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development service Rules, 1979 (hereinafter referred to as said rules,—

(1) In rule 8, sub-rule 2,—

(1) in clause (a), for sub clause (i), the following shall be substituted namely :—

"(i) Internal screening shall be based on not more than last five years confidential appraisal reports in the grade. Scientists 'B' and 'C', Scientists 'D' and Scientists 'E' securing less than 60%, 65% & 70% marks on an average respectively, shall not be eligible for assessment.";

(b) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

"(f) Recommendations of the Assessment Boards or Peer Committee shall be implemented from first July of the year to which the Assessment Board or Peer Committee pertains except in those cases where specific recommendations are made by the Assessment Boards or Peer Committee regarding effective date of promotion. This date shall be treated as the date of selection for the purpose of determining their seniority in the grade in respect of all scientists cleared for promotion provided they are on duty on that date. However, scientists who are away on leave on the date, shall assume charge in the grade to which they are promoted with effect from the date they resume duty but this shall not affect their date of selection or their inter-se-seniority in the hiher grade vis-a-vis the other scientists cleared for promotion by the same Assessment Board. In case of the scientists assessed and found fit for promotion but are unable to assume charge of the higher grade on effective date for being away on study leave combined with any other leave), sanctioned by the competent authority, for prosecuting higher studies or receiving specialised training in professional and technical subjects having a direct or close connection with the Defence Research and Development Organisation programmes, on resumption he may reckon notional seniority in the higher grade from the date of his selection to that grade for the purposes of counting of residency period for considering for promotion to the next higher grade provided the Director General is satisfied about the performance of the scientist during course of study/training. In so far as scientists undergoing training abroad (under Fundamental Rule 51), they shall be promoted to the next higher grade with effect from the date they would have been so promoted had they not proceeded on training, subject to the following conditions being fulfilled :—

(i) The period of such training is treated as duty under Fundamental Rules 9(6)(b).

(ii) They have been assessed and found fit for promotion to the next higher grade by the Assessment Board or Peer Committee

Attested

21/2/07

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

(iii) All the seniors, except those recommended as 'Not Yet Fit' for promotion to the particular grade, available have been promoted to that grade."

(c) Schedule 1 (c) of the said rules shall be substituted, by the following namely :—

"Schedule 1C

See rule 8(2)

The Assessment Board for assessing suitability of scientists for promotion, upto Scientist 'F' level in Defence Research and Development Service.

(i)	Chairperson or	—To be appointed by the Central Government.
	Co-chairperson	To be appointed by the chairperson from a panel approved by the Central Government.
(ii)	Two Departmental Core Members	—To be nominated by Director General Research & Development.
(iii)	One Departmental member	—To be nominated by Director General R&D.
(iv)	Two External members	—To be nominated by the Chairperson, from Academic Institutions, Research & Development Organisations, Industries or specialists in particular discipline or field.

(v) Director of the Laboratory or its representative

Note :

(i) The absence of any member of the Assessment Board other than the Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board.

(ii) Chairperson can nominate more than two external members wherever it is considered necessary for proper evaluation of scientists.

(iii) Serial No. (i) & (ii) will form the Core Committee of the Board and shall not normally change during the currency of the Board."

(d) For clause (d) the following shall be substituted, namely :—

"(d) The Assessment Board for promotion upto the level of Scientist 'F' shall submit its recommendations as 'Fit for Promotion' or 'Not Yet Fit' or fitness shall be deferred by one year, if the overall merit calibre of the candidate as judged by the Assessment Board matches with the qualifying marks required for his residency period, the candidate should be recommended as 'Fit for Promotion'. Otherwise, the recommendation would be 'Not Yet Fit', or fitness shall be deferred by one year."

[No. DRDO/76205/MPD-2/848/D(R&D)]

S.L. TRIPATHI, Under Secy.

Foot-note: The Defence Research and Development Service Rules, 1979 published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide SRO 8 dated the 30th December 1978, has been amended vide SRO 307 dated the 10th October, 1980, SRO 196 dated the 2nd August, 1982, SRO 159 dated the 6th May, 1983, SRO 176 dated the 7th August, 1984, SRO 228 dated the 13th November, 1984 SRO 170 dated the 12th July, 1985, SRO 186 dated the 2nd August, 1985, SRO 228 dated 6th June, 1986, SRO 158 dated the 4th May 1987, SRO 328 dated the 25th September, 1987, SRO 11-E dated the 10th August, 1990, SRO 1 dated the 4th January, 1991, SRO 33 dated the 17th January, 1991, SRO 74, dated the 5th March, 1991, SRO 146 dated the 4th July 1991 SRO 74 dated the 24th March, 1992, SRO 125 dated the 29th May, 1992 and, SRO 157 dated the 26th August, 1994.

नई दिल्ली 14, फरवरी, 1996

का. नि. आ. 35.—— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (प्रधान हिन्दी अधिकारी, मुख्य अनुवाद अधिकारी और अनुवाद अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (प्रधान हिन्दी अधिकारी, मुख्य अनुवाद अधिकारी और अनुवाद अधिकारी) (भर्ती संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन (प्रधान हिन्दी अधिकारी, मुख्य अनुवाद अधिकारी और अनुवाद अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची में, मुख्य अनुवाद अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्याक 2 के सामने स्तम्भ 10 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"एक वर्ष"

[फा. सं. ए/33994/मुप्रअ/आर-2]

एम. एन. असगर, उपमुख्य प्रशासन अधिकारी

टिप्पण:—— मूल नियम भारत के राजपत्र में का. नि. आ. सं. 164 तारीख 29 मई, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात का. नि. आ. 66 तारीख 8 मार्च, 1994 द्वारा संशोधित किए गए।

Attested.

[signature] 7/2/07

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54